अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

नं. 2/195/2020 तारीख रुजू.....................

बाबूलाल बनाम कोमल वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.09.2020	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतःअप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नं0, 113/1954, 180, 87/1952, 93 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 24.11.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 24.11.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
24.11.20	मुताबिक कोरोना एप०/P.O. साहब ... पत्रावली दिनांक 25/... को पेश हो	
25/3	वकील ढाली .... उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 30.9.20 की पालना में पत्रावली वास्ते ... दिनांक 30/3/21 .... को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:26:24 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 16/5/24 को पश हो

खण्ड अधिकारी
कस्बा (.....)

वकील प्रार्थी उपस्थित /
साबिक आदेश दिनांक 30/9/20
की पालना में ... के वास्ते तलबी रजि० एडी से
दिनांक ... को पश हो। अन्तिम मौका

खण्ड अधिकारी
कस्बा (.....)

16/5/24 वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं आये वकील व उनके प्रार्थी को बार-2 आवाज दिलाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्रार्थी व उनके वकील को पत्रावली में रुचि नहीं होने से पत्रावली अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तामील होकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:26:24 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
16/5/24